

कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या—प्राविधि/विभाग/सम्बद्धता/2017/1475

लखनऊ, दिनांक 15-5-2017

—कार्यालय ज्ञाप—

अधिकृत भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2017-18 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, ३०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 10-5-2017 को सम्बद्धता समिति की बैठक परिषद कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2017-18 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि हेतु सत्र 2017-18 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-३ में द्वितीय पाली में डिप्लोमा संचालित करने वाली डिग्री स्तरीय संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

“संलग्नक-३ में अंकित निजी क्षेत्र में स्थापित डिग्री स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएँ जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, ३०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, और जिन्हें ए०आ०१०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2017-18 हेतु द्वितीय पाली में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है, के संबंध में समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत सत्र 2017-18 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।”

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था का परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, ३० प्र० लखनऊ सत्र 2017-18 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु यथावत सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० स०	संस्था का नाम	संस्था कोड	पाठ्यक्रम का नाम	सत्र 2016-17 हेतु परिषद से अनुमोदित प्रवेश क्षमता	सत्र 2017-18 हेतु परिषद से अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	कमला नेहरा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज, फरीदपुर, सुलतानपुर	710	सिविल इंजी० इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी०	60 60	60 60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आ०१०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एकट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992 तथा अन्य नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम सहित) हेतु ₹०- ३०,०००.००/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु ₹०- २०,०००.०० शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2017-2018 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है। तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (३०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-२००० की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवोटेट छात्रों का ही प्रवेश दिया जायेगा। साला के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था के नियमों के अनुच्छेदों के अन्तर्भूत रूप से ऐसे चर्चाप्रोवेन्च यात्रा किए जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियम/अधिनियम/शासनाडाओं/निवेश एवं नियंत्रक प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा पारिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, नियेशों का पालन करने के लिये वाध्य होगी।
- ✓ डिलोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परीक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिलोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबवाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपर्युक्त का प्रयोग किती ज़न्दगी के लिए कर रही है तो उक्त संस्था की उपलब्धता स्थापित किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

८१८ (संजीव कुमार सिंह)  
सचिव

प०स०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता / २०१७ / १४७६-१९७५

तद दिनांक: १५-५-२०१७

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट आफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज, फरीदपुर,  
सुल्तानपुर।

८१८ (संजीव कुमार सिंह)  
सचिव